



POLICE COMMISSIONERATE



PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 14.06.2026

हत्या के प्रयास के अभियोग से सम्बन्धित 01 बाल अपचारी थाना झूंसी पुलिस द्वारा पुलिस संरक्षण में लिया गया

थाना झूंसी पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के पंजीकृत मु0अ0सं0- 115/2026 धारा 190/191(2)/191(3)/109(1)/115(2)/352/351(3)/228 बी0एन0एस0 व 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से सम्बन्धित 01 बाल अपचारी को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 14.06.2026 को पुलिस बूथ तिराहे के पास थाना क्षेत्र झूंसी से पुलिस संक्षरण में लिया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण -

मु0अ0सं0 115/2026 धारा 190/191(2)/191(3)/109(1)/115(2)/352/351(3)/228 बी0एन0एस0 व 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना झूंसी कमिश्नरेट प्रयागराज।

पुलिस संक्षरण में लेने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. व0उ0नि0 ताराचन्द्र थाना झूंसी कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. का0 अभिषेक सिंह थाना झूंसी कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना सरायममरेज पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 01 अंगूठी (पीली धातु), 01 हार (पीली धातु), 01 सोने की चेन (पीली धातु), 01 मांग टीका (पीली धातु), 01 पायल (सफेद धातु), 01 हाथ मेहन्दी (सफेद धातु), 02 कमर पेटी (सफेद धातु), 01 पायजेब (सफेद धातु), 01 चोंटी फूल (सफेद धातु) व 01 बिछिया (सफेद धातु) बरामद

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सरायममरेज पर पंजीकृत मु०अ०सं०-101/2026 धारा-303(2) भा०न्या०सं० से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता मदीना उर्फ रीता पत्नी इस्लाम हुलिया निवासिनी आनन्द डीह थाना दुर्गागंज जनपद भदोही को थाना सरायममरेज पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-14.06.2026 को थाना सरायममरेज क्षेत्रान्तर्गत चम्पापुर पाल बस्ती स्थित जंघई मोड़ से मुकदमा उपरोक्त में चोरी हुए 01 अंगूठी (पीली धातु), 01 हार (पीली धातु), 01 सोने की चेन (पीली धातु), 01 पायल (सफेद धातु), 01 हाथ मेहन्दी (सफेद धातु), 01 कमर पेटी (सफेद धातु), 01 पायजेब (सफेद धातु), व 01 बिछिया (सफेद धातु) तथा 01 मांग टीका (पीली धातु), 01 कमर पेटी (सफेद धातु) व 01 चोंटी फूल (सफेद धातु) थाना हण्डिया पर पंजीकृत मु०अ०सं०-287/2026 धारा-303(2) भा०न्या०सं० से सम्बन्धित) के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-317(4) भा०न्या०सं० की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्ता द्वारा दिनांक-12.06.2026 को थाना सरायममरेज क्षेत्रान्तर्गत जंघई तिराहे पास आटों से जा रही वादिनी मुकदमा के बैग का चेन खोलकर उसमें रखा आभूषण चोरी कर लिया गया था तथा दिनांक-13.06.2026 को थाना हण्डिया क्षेत्रान्तर्गत भीटी चौराहे के पास से एक अन्य महिला का बैग में रखे आभूषण चोरी कर

लेने के सम्बन्ध में क्रमशः थाना सरायममरेज पर मु0अ0सं0-101/2026 व थाना हण्डिया पर मु0अ0सं0-287/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्ता से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अक्सर ऑटो व बसों में सफर कर रही अकेली महिलाओं के पास बैठकर धीरे से उनके बैग आदि की चेन खोलकर उसमें से गहने चोरी कर लिया जाता था एवं उन्हे राह चलते लोगों को बेच दिया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

मदीना उर्फ रीता पत्नी इस्लाम हुलिया निवासिनी आनन्द डीह थाना दुर्गागंज जनपद भदोही, उम्र करीब 65 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0-101/2026 धारा-303(2) भा0न्या0सं0 व बढ़ोत्तरी धारा-317(4) भा0न्या0सं0 थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0-287/2026 धारा-303(2) भा0न्या0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

01 अंगूठी (पीली धातु), 01 हार (पीली धातु), 01 सोने की चेन (पीली धातु), 01 मांग टीका (पीली धातु), 01 पायल (सफेद धातु), 01 हाथ मेहन्दी (सफेद धातु), 02 कमर पेटी (सफेद धातु), 01 पायजेब (सफेद धातु), 01 चोंटी फूल (सफेद धातु) व 01 बिछिया (सफेद धातु)।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शरद सिंह, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. म0उ0नि0 विभा सिंह, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।

3. म0उ0नि0 शालू कुमारी, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
4. हे0का0 जामवन्त सिंह, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
5. रि0म0का0 रम्भा, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज ।

**थाना बहरिया पुलिस टीम द्वारा 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे/निशांदेही पर कुल 22.30 ग्राम पीली धातु व 314.29 ग्राम सफेद
धातु के आभूषण, 02 लोहे के इंजन, 01 सिलाई मशीन, कुल 10,500
रूपये/- व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना बहरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-108/26 धारा-305(ए)/331(4) भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्त 1. समीर पुत्र इमाम अली निवासी तुलापुर सिकन्दरा थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज 2. उज्जवल साहू उर्फ भोला उर्फ भंटा तेली पुत्र अरविंद कुमार साहू निवासी सिकन्दरा थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज 3. राजेश सोनी पुत्र स्व0 भोलानाथ सोनी निवासी ग्राम जेठवारा चौराहा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को थाना बहरिया पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-14.06.2026 को थाना बहरिया क्षेत्रान्तर्गत चैमलपुर स्थित प्राइमरी स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त अभियुक्तों के कब्जे/निशांदेही पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 लाकेट (पीली धातु), 01 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 02 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 01 जोड़ी हाथ का चूड़ा (सफेद धातु), 01 जोड़ी बिछिया (सफेद धातु), 01 सिक्का (सफेद धातु), 01 जोड़ी हाथ (सफेद धातु), 01 करधन (सफेद धातु), 01 लाकेट छोटा गला हुआ (पीली धातु), 03 अंगूठी (सफेद धातु), 01 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 01 इंजन (मोटर पम्पिंग सेट) 01 इंजन EICHERGOLD Z170F DIESEL ENGINE, 01 सिलाई मशीन

USHA कम्पनी व रिंच पाना पेचकस व कुल 10,500 रूपये/- व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल सुपर स्पेलेण्डर बिना नम्बर प्लेट बरामद की गयी। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-317(2) भा0न्या0सं0 की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा वादी मुकदमा के घर के गेट का ताला तोड़कर घर में रखे बक्से व आलमारी का ताला तोड़कर वादी मुकदमा के पत्नी एवं माँ का सोने एवं चाँदी के गहने एवं नगद रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बहरिया पर मु0अ0सं0-108/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया गया कि समीर उपरोक्त और उसका दोस्त उज्जवल साहू उर्फ भोला उर्फ भंटा उपरोक्त जिला कारागार जनपद प्रतापगढ़ जेल में बंद थे तो वही उनकी दोस्ती जेल में ही राजेश सोनी पुत्र स्व0 भोलानाथ सोनी निवासी ग्राम जेठवारा चौराहा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ के साथ हुई थी, तभी से वे लोग एक दुसरे को जानते थे। समीर उपरोक्त और उसका दोस्त उज्जवल उपरोक्त कुछ दिन पूर्व रात्रि में वादी मुकदमा के घर का ताला तोड़कर घर में रखे सफेद व पीले धातु के जेवर, इंजन, सिलाई मशीन आदि चुरा लिया गया था। उक्त चोरी किए गए सफेद धातू व पीली धातू के जेवर में से कुछ जेवर को अपने तीसरे दोस्त राजेश सोनी उपरोक्त को बेच दिया गया था तथा कुछ सामान दो लोहे के इंजन, सिलाई मशीन व पेचकस आदि सामान को थाना बहरिया क्षेत्रान्तर्गत चैमलपुर जंगल में छुपा दिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. समीर पुत्र इमाम अली निवासी तुलापुर सिकन्दरा थाना बहरिया कमिश्नेट प्रयागराज, उम्र करीब 20 वर्ष।
2. उज्जवल साहू उर्फ भोला उर्फ भंटा तेली पुत्र अरविंद कुमार साहू निवासी सिकन्दरा थाना बहरिया कमिश्नेट प्रयागराज, उम्र करीब 19 वर्ष।

3. राजेश सोनी पुत्र स्व० भोलानाथ सोनी निवासी ग्राम जेठवारा चौराहा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष ।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं०-108/26 धारा-305(ए)/331(4) भा०न्या०सं० व बढ़ोत्तरी धारा-317(2) भा०न्या०सं० थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।

अभियुक्त समीर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०-192/2025 धारा-309(4) भा०न्या०सं० थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मु०अ०सं०-197/2023 धारा-147/148/149/307/34/504 भा०द०सं० व 3/25 आयुध अधिनियम व 3(1)(घ),3(1)(द),3(2)(v) एस०सी०/एस०टी० एक्ट थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. मु०अ०सं०-108/26 धारा-305(ए)/331(4) भा०न्या०सं० व बढ़ोत्तरी धारा-317(2) भा०न्या०सं० थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।

अभियुक्त उज्जवल साहू उर्फ भोला उर्फ भंटा तेली उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०-72/2026 धारा-115(2)/351(3)/352 भा०न्या०सं० थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. मु०अ०सं०-192/2025 धारा-309(4) भा०न्या०सं० थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
3. मु०अ०सं०-108/26 धारा-305(ए)/331(4) भा०न्या०सं० व बढ़ोत्तरी धारा-317(2) भा०न्या०सं० थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।

अभियुक्त राजेश सोनी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०-202/2025 धारा-323/376(3) भा०द०सं० व धारा 5n/6 पॉक्सो एक्ट थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

2. मु0अ0सं0-106/2026 धारा-115(2)/351(3)/352 भा0न्या0सं0 थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. मु0अ0सं0-108/26 धारा-305(ए)/331(4) भा0न्या0सं0 व बढ़ोत्तरी धारा-317(2) भा0न्या0सं0 थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।

बरामदगी का विवरण-

- * 01 लाकेट (पीली धातु), 01 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 5800 रुपये/- व 01 मोटर साइकिल सुपर स्पेलेण्डर बिना नम्बर प्लेट (अभियुक्त समीर पुत्र इमाम अली उपरोक्त के कब्जे से) ।
- * 02 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 01 जोड़ी हाथ का चूड़ा (सफेद धातु), 01 जोड़ी बिछिया (सफेद धातु), 01 सिक्का (सफेद धातु), 01 जोड़ी हाथ (सफेद धातु) व 4700 रुपये/- (अभियुक्त उज्जवल साहू उर्फ भोला उर्फ भंटा तेली उपरोक्त के कब्जे से) ।
- * 01 करधन (सफेद धातु), 01 लाकेट छोटा गला हुआ (पीली धातु), 03 अंगूठी (सफेद धातु), 01 जोड़ी पायल (सफेद धातु) (अभियुक्त राजेश सोनी उपरोक्त के कब्जे से) ।
- * 01 इंजन (मोटर पम्पिंग सेट) 01 इंजन EICHERGOLD Z170F DIESEL ENGINE, 01 सिलाई मशीन USHA कम्पनी व रिंच पाना पेचकस (अभियुक्त समीर व उज्जवल साहू उपरोक्त के निशांदेही पर चैमलपुर जंगल से बरामद) ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष मानवेन्द्र कुमार सिंह, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. उ0नि0 अनुराग शर्मा, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. उ0नि0 अमित कुमार सिंह, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
4. उ0नि0 चन्दन यादव, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
5. हे0का0 रामचन्द्र वर्मा, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
6. हे0का0 अरविन्द सिंह, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
7. का0 प्रदीप, थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।